



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व 105,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.06.2022 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0- 275/22 धारा- 363,366,376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट बनाम 1.लवसिंह उर्फ लवप्रीत उर्फ लाडी पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम सिंहपुरा थाना मिलक जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 30.04.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामपुर (ADJ-8) द्वारा अभियुक्त 1.लवसिंह उर्फ लवप्रीत उर्फ लाडी उपरोक्त को 20 वर्ष कारावास व 105,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त 1.लवसिंह उर्फ लवप्रीत उर्फ लाडी पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम सिंहपुरा थाना मिलक जनपद रामपुर को 20 वर्ष कारावास व 105,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826